न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 32/2022

अनवान मुकदमा -

1. केशवानन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 23 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र जयपाल जाति बिश्नोई निवासी 6 एल.के.एस. हालआबाद पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. इन्द्रा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 23 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. मधु बिश्नोई पत्नी अनिल कुमार पुत्री रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता -- वादी
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता -- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3

-:: निर्णय :-

दिनांक - 01/02/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में अकिंत किया गया है।

वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.के.एस. के खाता संख्या 81 के प.न. 7/278(46) के किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/2/0.152, 25/3/0.025 की 0.936 हैक. व प.नं. 8/278(45) के किला नं. 5/1/0.215, 5/2/0.038, 6, 11, ता 22 की 2.859 हैक. व प. नं. 9/277(43) के किला नं. 19/1/0.22[illegible] [illegible]0.025, 20, 21, 22/1/0.240, 22/2/0.013 की 1.012 हैक. इसप्रकार तीनों पत्रों कुल 4.807 हैक. नहरी मय गै. मु.खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर पुत्र जयपाल जाति बिश्नोई निवासी 6 एल.के.एस. हालआबाद पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 वादपत्र के संलग्न की गई है। वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं.1 को वादी के पड़दादा खेताराम पुत्र रतीराम से विरास्तन में मिली है। जिसमें वादी का प्रतिवादी सं.1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:19 IST
Reason: SelfAttested

निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमे प्रतिवादी सं. 2 व 3 नें अपना समस्त हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है। इसप्रकार वादी को घरू बंटवारा में तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.के.एस. के खाता संख्या 81 के प.न. 7/278(46) के किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/2/0.152, 25/3/0.025 की 0.936 हैक. व प.नं. 8/278(45) के किला नं. 11 ता 14, 19, 20 की 1.518 हैक.इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.454 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है। व शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है जो यथावत रहेगी, वादी व प्रतिवादी सं. 1 को घरूबंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

घोषित किया जावे कि वादी (केशवानन्द) को तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.के.एस. के खाता संख्या 81 के प.न. 7/278(46) के किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/2/0.152, 25/3/0.025 की 0.936 हैक. व प.नं. 8/278(45) के किला नं. 11 ता 14, 19, 20 की 1.518 हैक.इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.454 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.01.2022 को वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। इस सम्वंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशान[illegible]रा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्त[illegible] अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आ[illegible] 23 नियम 3 [illegible]सी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप [illegible]) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की

सहायक [illegible] पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पंति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एल.के.एस. के खाता संख्या 81 के प.न. 7/278(46) के किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/2/0.152, 25/3/0.025 की 0.936 हैक. व प.नं. 8/278(45) के किला नं. 11 ता 14, 19, 20 की 1.518 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.454 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि का वादी (केशवानन्द) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

01/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:52:19 IST
Reason: SelfAttested